कार्यालय, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001

ई–मेलः ayushmanuttarakhand@gmail.com

पत्रांक– अ0आ0उ0यो0 / 2019–20 / 225 दिनांक 01 जून 2019

कारण बताओ नोटिस

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना–राज्य स्वास्थ्य अभिकरण, के अन्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालय **विनोद आर्थो क्लीनिक, 6–इन्दर रोड, देहरादून** द्वारा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को उपचार प्रदान करने से सम्बन्धित क्रियान्वयन सहायता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों एवं प्रमाणों का परीक्षण करने तथा उनकी आंतरिक जाँच के उपरांत यह विदित हुआ है कि विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा निम्न वर्णित बिंदुओं के अनुसार अनियमित्ताएँ, अनुबन्ध का उल्लंघन, धोखाधड़ी, षडयंत्र एवं दुरभि सन्धि किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता हैः–

1. केस न0 – Case/Hosp 5P00700/E51231(Pre-auth approved Rs. 15000/- unpaid) रोगी का नाम– श्री अर्जुन लाल, उम्र–46 वर्ष, जिसका आयुष्मान कार्ड नम्बर P9FUSH9A, दिनांक13.04.2019 को विनोद आर्थो क्लीनिक में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत Gangrene Rt Leg with Septic Shock रोग से ग्रसित होने के कारण भर्ती हुआ था। उपरोक्त रोगी का क्लेम पैकेज संख्या S500008 के अन्तर्गत दिनांक 13.04.2019 को प्री–ऑथ हेतु अपलोड किया गया था। दिनांक 14.04.2019 को उपरोक्त मरीज की सर्जरी Amputation Rt Leg Below Knee डा0 प्रसून महेश्वरी द्वारा की गई तथा दिनांक 18.04.2019 को उपरोक्त मरीज को चिकित्सालय से डिस्चार्ज किया गया।

   यहां पर यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि उपरोक्त मरीज पूर्व में दिनांक 7.02.2019 को Gangrene Rt Foot रोग से ग्रसित होने के कारण दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के अस्थि रोग विभाग में भर्ती हुआ था तथा उपरोक्त चिकित्सालय से दिनांक 13.04.2019 को Discharge हुआ था। दून मेडिकल कालेज, देहरादून में भर्ती रहने के दौरान उपरोक्त रोगी की दो सर्जरी की गयी थी। दिनांक 13.03.2019 को Amputation Rt Foot सर्जरी की गयी तथा दिनांक 5.04.2019 को Amputation Rt Leg Below Knee दूसरी सर्जरी की गयी।

   विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा उपरोक्त मरीज की पुनः सर्जरी Amputation Rt Leg Below Knee दिनांक 14.04.2019 को की गयी है। परन्तु सर्जरी से पूर्व रोगी की कोई भी जांचे जैसे रेडियोलजी जांचे तथा पैथोलजी जांचे आदि नहीं की गयी है, जबकि

01.06.19

रोगी को केसशीट में Gangrene Rt Leg with Septic Shock की Diagnosis के साथ गम्भीर स्थिति में भर्ती दिखाया गया है। अतः यह तथ्य संदेहात्मक प्रतीत होता है कि रोगी की पुनः सर्जरी दिनांक 14.04.219 को चिकित्सालय द्वारा की गयी है।

यहां यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि डा0 प्रसून महेश्वरी, अस्थि रोग विशेषज्ञ, विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना को दिनांक 3.05.2019 को प्रेषित पत्र में यह स्वीकर किया गया है कि यह मरीज 17 दिन तक उनके चिकित्सालय में रहा तथा आपरेशन थियेटर में मरीज के घाव को कई बार डिबराइड किया गया तथा मरीज के भर्ती होने की तिथि से 15 वें दिन दिनांक 28.04.2019 को मरीज का एम्पुटेशन किया गया। डा0 मदन मोहन जो कि Implemention Support Agency (ISA) में डॉक्टर है, द्वारा हॉस्पिटल ऑडिट हेतु दिनांक 19.04.2019 को विनोद आर्थो क्लीनिक का निरीक्षण किया गया था तथा उपरोक्त तिथि को डा0 मदन मोदन मोहन द्वारा रोगी श्री अर्जुन लाल अपने Recorded बयान में यह अवगत कराया गया है कि उसकी दो सर्जरी दून मेडिकल कालेज में हुयी हैं तथा विनोद आर्थो क्लीनिक में केवल घाव साफ करके पट्‌टी की जा रही है।

उक्त विवरण तथा अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि मरीज का दो बार Amplutation दून अस्पताल में हो चुका था। विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा दिनांक 14.04.2019 को पुनः Amputation किया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है। यह संदेह इस तथ्य से भी पुष्ट होता है कि विनोद आर्थो क्लीनिक के अस्थि रोग विशेषज्ञ डा0 प्रसून महेश्वरी द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.05.2019 में यह बताया है कि मरीज का Amputation दिनांक 28.04.219 को किया गया है।

उपरोक्त केस से सम्बन्धित अभिलेखों तथा विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा प्रेषित पत्र के परीक्षण के उपरांत यह प्रतीत होता है कि चिकित्सालय द्वारा कपट पूर्वक मरीज के दस्तावेजों को रचित किया गया है ताकि अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत अवैधानिक क्लेम प्राप्त किया जा सके।

2. केस न0 – Case/Hosp/ 5P00700/D84402 (Pre-auth approved Rs. 90000/-, Unpaid) रोगी का नाम– श्री विजय गांगुली, उम्र–30 वर्ष, जिसका आयुष्मान कार्ड नम्बर– P49MW98TT, दिनांक 07.05.2019 को विनोद आर्थो क्लीनिक में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत Severe Pain Left hip with B/L AVN रोग से ग्रसित होने के कारण एमरजेंसी में भर्ती हुए थे। दिनांक 09.05.2019 को भारत सरकार के प्रतिनिधियों (राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेन्सी, आयुष्मान भारत) द्वारा उपरोक्त चिकित्सालय का साय 5:00 बजे भ्रमण किया गया। उपरोक्त टीम के द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि भ्रमण के दौरान उपरोक्त रोगी चिकित्सालय में अपने बिस्तर पर नहीं पाया गया तथा

01.06.19

चिकित्सालय द्वारा यह अवगत कराया गया कि उपरोक्त रोगी घर चला गया है तथा ऑपरेशन हेतु पुनः चिकित्सालय में आयेगा। कुछ समय उपरोक्त रोगी स्वयं मोटर साईकिल चला कर चिकित्सालय में वापिस आया है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि इमरजेंसी में भर्ती किया गया रोगी चिकित्सालय में अनुपस्थित पाया गया तथा वह मोटर साईकिल से चिकित्सालय में वापिस आया।

उपरोक्त तथ्य से यह सिद्ध होता है कि विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा Emergency न होते हुए भी मरीज को Emergency में भर्ती किया गया ताकि रेफरल की प्रक्रिया से बचा जा सके जिससे यह भी संदेह होता है कि विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा प्री–ऑथ में अवैधानिक क्लेम लेने हेतु गलत पैकेज प्राप्त किया। यह भी प्रतीत होता है कि विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा OPD के रोगी को IPD में परिवर्तित किया गया है अतः विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन कर अवैधानिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

3. विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा एमरजेन्सी में किये गये 126 केसेस में से 22 केसेस में प्री–ऑथ अप्रूवल से पहले ही सर्जरी की गयी है। उक्त 22 केसेस में चिकित्सालय द्वारा मरीज भर्ती होने के 1 से 4 दिन बाद प्री–ऑथ अप्रूवल हेतु क्लेम अपलोड किये गये है। जो कि निम्नलिखित है:–

S. No	Case No	Admission Date	Preauth Date	Preauth Approve Date	Surgery Date	Preauth Approved Amount(Rs.)	Paid Unpaid
1	CASE/HOSP5P00700/E1035	01/01/2019 12:00:00 AM	03/01/2019 11:51:49 AM	03/01/2019 12:08:52 PM	02/01/2019 12:00:00 AM	28500	Paid
2	CASE/HOSP5P00700/S1395	07/01/2019 12:00:00 AM	09/01/2019 05:45:41 PM	09/01/2019 06:31:25 PM	08/01/2019 12:00:00 AM	40000	Paid
3	CASE/HOSP5P00700/E2620	18/01/2019 12:00:00 AM	18/01/2019 05:14:24 PM	19/01/2019 11:52:22 AM	18/01/2019 12:00:00 AM	40000	Paid
4	CASE/HOSP5P00700/E2938	20/01/2019 12:00:00 AM	21/01/2019 05:43:32 PM	23/01/2019 02:36:15 PM	21/01/2019 12:00:00 AM	22000	Paid
5	CASE/HOSP5P00700/D4097	28/01/2019 12:00:00 AM	29/01/2019 05:17:18 PM	29/01/2019 08:02:38 PM	28/01/2019 12:00:00 AM	17000	Paid
6	CASE/HOSP5P00700/D7628	13/02/2019 12:00:00 AM	13/02/2019 07:34:01 PM	14/02/2019 01:45:26 AM	13/02/2019 12:00:00 AM	18500	Paid
7	CASE/HOSP5P00700/D7871	11/02/2019 12:00:00 AM	14/02/2019 03:53:46 PM	14/02/2019 08:12:06 PM	12/02/2019 12:00:00 AM	23500	Paid
8	CASE/HOSP5P00700/E8624	16/02/2019 12:00:00 AM	17/02/2019 05:49:54 PM	17/02/2019 05:54:19 PM	16/02/2019 12:00:00 AM	3600	Paid

9	CASE/HOSP5P0 0700/E14278	06/03/2019 12:00:00 AM	07/03/2019 04:26:18 PM	07/03/2019 06:15:32 PM	06/03/2019 12:00:00 AM	23500	Paid
					Total	**216600**	
10	CASE/HOSP5P0 0700/D36255	01/04/2019 12:00:00 AM	02/04/2019 02:30:17 PM	02/04/2019 06:21:14 PM	01/04/2019 12:00:00 AM	23500	Unpaid
11	CASE/HOSP5P0 0700/D36640	02/04/2019 12:00:00 AM	02/04/2019 05:33:09 PM	03/04/2019 07:35:34 PM	02/04/2019 12:00:00 AM	32500	Unpaid
12	CASE/HOSP5P0 0700/D40003	04/04/2019 12:00:00 AM	04/04/2019 06:30:26 PM	06/04/2019 02:02:34 PM	04/04/2019 12:00:00 AM	40000	Unpaid
13	CASE/HOSP5P0 0700/D51537	13/04/2019 12:00:00 AM	14/04/2019 12:30:37 PM	14/04/2019 02:19:56 PM	13/04/2019 12:00:00 AM	27500	Unpaid
14	CASE/HOSP5P0 0700/D53076	15/04/2019 12:00:00 AM	15/04/2019 05:48:28 PM	17/04/2019 01:12:12 AM	16/04/2019 12:00:00 AM	90000	Unpaid
15	CASE/HOSP5P0 0700/D58158	18/04/2019 12:00:00 AM	18/04/2019 10:31:12 PM	19/04/2019 04:34:50 AM	18/04/2019 12:00:00 AM	23500	Unpaid
16	CASE/HOSP5P0 0700/D63870	23/04/2019 12:00:00 AM	23/04/2019 07:00:07 PM	24/04/2019 01:04:54 AM	23/04/2019 12:00:00 AM	20000	Unpaid
17	CASE/HOSP5P0 0700/D64517	21/04/2019 12:00:00 AM	24/04/2019 11:10:32 AM	25/04/2019 01:58:35 AM	21/04/2019 12:00:00 AM	32500	Unpaid
18	CASE/HOSP5P0 0700/E64553	21/04/2019 12:00:00 AM	24/04/2019 11:21:49 AM	25/04/2019 01:58:35 AM	21/04/2019 12:00:00 AM	15000	Unpaid
19	CASE/HOSP5P0 0700/D64582	21/04/2019 12:00:00 AM	24/04/2019 12:08:30 PM	25/04/2019 01:58:35 AM	21/04/2019 12:00:00 AM	23500	Unpaid
20	CASE/HOSP5P0 0700/D64706	21/04/2019 12:00:00 AM	24/04/2019 02:12:51 PM	25/04/2019 11:06:47 AM	21/04/2019 12:00:00 AM	22500	Unpaid
21	CASE/HOSP5P0 0700/D66936	25/04/2019 12:00:00 AM	25/04/2019 06:17:45 PM	27/04/2019 12:58:37 AM	25/04/2019 12:00:00 AM	18500	Unpaid
22	CASE/HOSP5P0 0700/D74685	30/04/2019 12:00:00 AM	01/05/2019 03:20:31 PM	02/05/2019 02:55:04 PM	30/04/2019 12:00:00 AM	18500	Unpaid
					Total	**387500**	

विनोद आर्थो क्लीनिक तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध के सेक्शन 4 पैरा 2(ii) निम्न प्रावधान है–

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure,

Para 2. Pre-authorisation, (ii). No EHCP shall, under any circumstances whatsoever, undertake any such earmarked procedure without pre-authorisation unless under emergency. Process for emergency approval will be followed as per guidelines laid down under ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND."

21.06.19

विनोद आर्थो क्लीनिक तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध में इमरजेंसी में भर्ती के सम्बन्ध में सेक्शन 4 पैरा 4 में निम्न प्राविधानित है–

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure

Para 4. Emergency admission: In case of emergency the beneficiary may get the treatment after getting TPIN (Telephonic Patient Identification Number) from the call centre and same will be recorded. ..."

विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा अनुबन्ध की उक्त शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। Emergency Cases में बिना TPIN लिये सर्जरी की गयी है। यही नहीं उक्त 22 केसेस में चिकित्सालय द्वारा मरीज के भर्ती होने के 1 से 4 दिन बाद प्री– ऑथ इनिशियेट किया गया है। इस प्रकार विनोद आर्थो क्लीनिक का यह कृत्य मरीजों के उपचार में धोखाधड़ी का संदेह भी उत्पन्न करता है।

4. विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत उपचारित 135 Cases में से 75 Cases में एक ही रोगी के एक समय पर एक से अधिक पैकज (Multiple Surgical Packages) अपलोड कर उनका भुगतान प्राप्त किया गया है।

i. अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त यह तथ्य सामने आया है कि कुल 75 Cases में से 22 Cases में Fracture Fixation के साथ साथ Fasciotony भी की गयी है, जो प्रायः रूटिन मेडिकल प्रैक्टिस में इतनी अधिक संख्या में नहीं की जाती है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि चिकित्सालय द्वारा Pre Operative तथा Post Operative मरीज के Limbs की फोटो भी अपलोड नहीं की गई है जिससे ज्ञात हो सके कि इतनी अधिक संख्या में Fasciotony की आवश्यकता थी अथवा नहीं।

S. No	Case No	Admission Date	Preauth Date	Preauth Approve Date	Surgery Date	Preauth Approved Amount(Rs.)	Paid/Unpaid
1	CASE/HOSP5P00700/S876	31/12/2018 12:00:00 AM	31/12/2018 05:01:13 PM	31/12/2018 05:07:01 PM	01/01/2019 12:00:00 AM	31750	Paid
2	CASE/HOSP5P00700/E1035	01/01/2019 12:00:00 AM	03/01/2019 11:51:49 AM	03/01/2019 12:08:52 PM	02/01/2019 12:00:00 AM	28500	Paid
3	CASE/HOSP5P00700/D7628	13/02/2019 12:00:00 AM	13/02/2019 07:34:01 PM	14/02/2019 01:45:26 AM	13/02/2019 12:00:00 AM	18500	Paid
4	CASE/HOSP5P00700/D8615	16/02/2019 12:00:00 AM	17/02/2019 02:41:00 PM	17/02/2019 04:23:25 PM	17/02/2019 12:00:00 AM	20500	Paid
5	CASE/HOSP5P00700/D9113	19/02/2019 12:00:00 AM	19/02/2019 01:13:58 PM	19/02/2019 02:00:14 PM	20/02/2019 12:00:00 AM	23500	Paid
6	CASE/HOSP5P00700/E10554	24/02/2019 12:00:00 AM	24/02/2019 02:26:33 PM	24/02/2019 03:02:09 PM	25/02/2019 12:00:00 AM	23500	Paid
					Total	**146250**	
7	CASE/HOSP5P00700/D19514	19/03/2019 12:00:00 AM	19/03/2019 01:56:51 PM	19/03/2019 02:04:24 PM	20/03/2019 12:00:00 AM	23500	Unpaid

8	CASE/HOSP5P0070 0/D24199	24/03/2019 12:00:00 AM	24/03/2019 02:49:44 PM	24/03/2019 05:51:16 PM	25/03/2019 12:00:00 AM	18500	Unpaid
9	CASE/HOSP5P0070 0/D25166	25/03/2019 12:00:00 AM	25/03/2019 02:24:17 PM	25/03/2019 04:42:48 PM	26/03/2019 12:00:00 AM	23500	Unpaid
10	CASE/HOSP5P0070 0/D29969	28/03/2019 12:00:00 AM	28/03/2019 04:13:35 PM	29/03/2019 10:13:48 AM	29/03/2019 12:00:00 AM	28500	Unpaid
11	CASE/HOSP5P0070 0/D30133	28/03/2019 12:00:00 AM	28/03/2019 05:23:28 PM	28/03/2019 08:14:14 PM	28/03/2019 12:00:00 AM	28500	Unpaid
12	CASE/HOSP5P0070 0/D36255	01/04/2019 12:00:00 AM	02/04/2019 02:30:17 PM	02/04/2019 06:21:14 PM	01/04/2019 12:00:00 AM	23500	Unpaid
13	CASE/HOSP5P0070 0/D49177	12/04/2019 12:00:00 AM	12/04/2019 03:22:38 PM	12/04/2019 05:42:42 PM	12/04/2019 12:00:00 AM	23500	Unpaid
14	CASE/HOSP5P0070 0/D49355	12/04/2019 12:00:00 AM	12/04/2019 03:52:12 PM	12/04/2019 06:16:49 PM	13/04/2019 12:00:00 AM	28500	Unpaid
15	CASE/HOSP5P0070 0/D67648	26/04/2019 12:00:00 AM	26/04/2019 01:21:55 PM	26/04/2019 11:58:37 PM	26/04/2019 12:00:00 AM	18500	Unpaid
16	CASE/HOSP5P0070 0/D69603	27/04/2019 12:00:00 AM	27/04/2019 04:11:06 PM	NA	NA	0	Unpaid
17	CASE/HOSP5P0070 0/D69802	27/04/2019 12:00:00 AM	27/04/2019 05:49:18 PM	27/04/2019 08:48:00 PM	27/04/2019 12:00:00 AM	18500	Unpaid
18	CASE/HOSP5P0070 0/D70776	29/04/2019 12:00:00 AM	29/04/2019 10:44:30 AM	29/04/2019 11:09:33 AM	29/04/2019 12:00:00 AM	23500	Unpaid
19	CASE/HOSP5P0070 0/D78058	03/05/2019 12:00:00 AM	03/05/2019 07:01:14 PM	04/05/2019 01:05:00 AM	NA	18500	Unpaid
20	CASE/HOSP5P0070 0/E81392	06/05/2019 12:00:00 AM	07/05/2019 10:21:54 AM	07/05/2019 11:05:27 AM	NA	23500	Unpaid
21	CASE/HOSP5P0070 0/S82323	06/05/2019 12:00:00 AM	07/05/2019 03:13:34 PM	07/05/2019 04:14:21 PM	NA	23500	Unpaid
22	CASE/HOSP5P0070 0/D82963	07/05/2019 12:00:00 AM	07/05/2019 11:02:49 PM	09/05/2019 12:47:26 PM	NA	28500	Unpaid
					Total	**352500**	

ii. उपरोक्त 75 Cases में से 7 Cases में जनरल सर्जरी के एक से अधिक पैकेज अपलोड कर भुगतान प्राप्त किया गया है। उक्त 7 Cases में से 6 Cases से एक ही रोगो के 03 सर्जिकल पैकेज (Lap Cholecystectomy + C.B.D. Exploration + Adhesiolysis) अपलोड कर करके भुगतान प्राप्त किया गया है।

उपरोक्त 06 केसेस में Ultrasound (Abdomen) की रिर्पोट में Commom Bile Duct को नार्मल दर्शाया गया है तथा 03 केसेस में Liver Function Test भी Normal दर्शाये गये है। इसके अतिरिक्त 03 केसेस में Common Bile Duct के Dilatation को Suspect करने हेतु चिकित्सालय से कोई भी Blood की जाँच जैसे कि Liver Function Test नहीं कराया गया है तथा USG भी नहीं कराया गया है। परन्तु सर्जरी से पहले ही Treatment Plan में C.B.D Exploration किया जाना अंकित किया गया है। बिना किसी साक्ष्य के उपरोक्त 6 केसेस में Bile Duct का Exploration करना Standard Medical Practice के विरूद्ध है तथा बिना किसी साक्ष्य के C.B.D Exploration करने से रोगी की जान को भी खतरे में डाला जा

01.06.19

सकता है। समस्त 07 केसेस में भी Adhesiolysis की गयी है, परन्तु Intestinal Obstruction देखने हेतु X-Ray Abdomen अथवा CT Abdomen नहीं किया गया है।

S. No	Case No	Admission Date	Preauth Date	Preauth Approve Date	Preauth Approved Amount(Rs.)	Paid/Unpaid
1	CASE/HOSP5P00700/D16569	13/03/2019 12:00:00 AM	13/03/2019 05:49:42 PM	13/03/2019 09:01:59 PM	27500	Paid
				Total	27500	
2	CASE/HOSP5P00700/D24207	23/03/2019 12:00:00 AM	24/03/2019 03:27:42 PM	24/03/2019 05:55:39 PM	27500	Unpaid
3	CASE/HOSP5P00700/D31656	29/03/2019 12:00:00 AM	29/03/2019 04:24:10 PM	29/03/2019 08:43:45 PM	27500	Unpaid
4	CASE/HOSP5P00700/D31689	29/03/2019 12:00:00 AM	29/03/2019 04:34:59 PM	29/03/2019 08:55:15 PM	27500	Unpaid
5	CASE/HOSP5P00700/E33761	31/03/2019 12:00:00 AM	31/03/2019 05:41:39 PM	02/04/2019 03:00:04 PM	27500	Unpaid
6	CASE/HOSP5P00700/D44287	08/04/2019 12:00:00 AM	08/04/2019 04:52:35 PM	08/04/2019 05:24:34 PM	27500	Unpaid
7	CASE/HOSP5P00700/D64706	21/04/2019 12:00:00 AM	24/04/2019 02:12:51 PM	25/04/2019 11:06:47 AM	22500	Unpaid
				Total	160000	

उपरोक्त तथ्यो से यह सिद्ध होता है कि विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा धोखाधड़ी करते हुये तथा मरीजो को खतरे में डालते हुये अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में अनावश्यक रूप से एक ही रोगी में एक समय में 03 पैकेज अपलोड कर अवैधानिक लाभ प्राप्त किया गया है।

उपरोक्त समस्त केसेस में विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत अनावश्यक रूप से एक ही रोगी में **Multiple Packages** अपलोड कर धोखाधडी कर अवैधानिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की गयी है।

5. Case NO. – Case/hosp5P00700/D47821(Pre-auth approved Rs. 19250/-, Paid) रोगी का नाम योगीता, आयु 29 वर्ष आयुष्मान कार्ड नम्बर– PARV0A7G6 है Full term Preg with Board ligament Hematoma with Abruption Placenta के रोग से ग्रसित होने के कारण दिनांक 11.04.2019 को प्रातः 11:28 AM को विनोद आर्थो क्लीनिक में भर्ती हुई थी तथा उपरोक्त मरीज का दिनांक 11.04.2019 को Caesarian Hysterectomy का ऑपरेशन किया गया था, परन्तु उक्त रोगी हेतु विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा 02 पैकेजस जिनका कोड क्रमश Caesarian Hysterectomy (S400035) + MTP> 12 weeks(S400045) को अपलोड कर दोनो क्लेमो का भुगतान प्राप्त किया है।

उपरोक्त केस के अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि मरीज की केवल एक सर्जरी **Caesarian Hysterectomy** की गयी है। विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा

21.06.19

MTP> 12 weeks(S400045) पैकेज का क्लेम करके भुगतान प्राप्त किया जाना स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी करना है, क्योंकि जिस रोगी की Caesarian Hysterectomy की गयी, उस रोगी की MTP भी किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

6. विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के पंजीकृत किये जाने हेतु Online hospital Empanellment Application Form में कुल 10 डाक्टरों के नाम उनकी विशेषज्ञता तथा कुल अनुभव अंकित की गयी है।
   i. Duty Doctor की सूची में बिन्दु संख्या 1 पर Dr.Nikita Gandotra का नाम अंकित है परन्तु उस अवधि में Dr.Nikita Gandotra संविदा पर सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर दून मेडिकल कालेज में पूर्ण कालिक चिकित्सक के रूप में Obst/ Genie विभाग में कार्यरत थीं।
   ii. विशेषज्ञ डाक्टरो की सूची में बिन्दु संख्या 4 पर डा0 अविनाल कालरा का नाम अंकित है जो कि उस तिथि से आतिथि तक दून मेडिकल कालेज में स्थित Sick New Bron Care Unit में नेशनल हेल्थ मिशन के अन्तर्गत संविदा पर पूर्ण कालिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं।
   iii. विशेषज्ञ डाक्टरो की सूची में बिन्दु संख्या 7 पर डा0 श्रुति बर्तवाल का नाम अंकित है जो कि उस तिथि से आतिथि तक राजकीय चिकित्सालय कोरोनेशन में पूर्णकालिक स्थायी चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं।

उक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा सूचीबद्धता के ऑन लाइन आवेदन पत्र में मिथ्या कथन (False Statements) दिये गये है ताकि वे अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत अवैधानिक लाभ प्राप्त कर सकें।

7. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना–राज्य स्वास्थ्य अभिकरण, के अन्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालय विनोद आर्थो क्लीनिक, 6–इन्दर रोड, देहरादून द्वारा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को उपचार प्रदान करने से सम्बन्धित कियान्वयन सहायता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों एवं प्रमाणों का गहन परीक्षण, ऑडिट एवं आंतरिक जॉच के उपरांत यह निम्नलिखित तथ्य सामने आये हैः–
   i. केस न0 Case/Hosp 5P00700/D8615(Pre-auth approved Rs. 20500/-, Paid) रोगी श्री सुदामा के Immediate Post Operative X-Ray में प्लेटिंग दिखाई दे रही है जबकि ऑपरेशन नोटस में नेलिंग दर्शाया गया है Post Oprative X-Ray भी उपरोक्त मरीज का प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि Post Oprative X-Ray में Old

Healed Callous दिखाई दे रही है। जो कि Post Operative X-Ray में दिखायी देना सम्भव नहीं है।

ii. केस न0 Case/Hosp 5P00700/D82963(Pre-auth approved Rs. 28500/-, Paid) रोगी श्री दिशांत के ऑपरेशन नोटस में नेलिंग दर्शाया गया है परन्तु Post Operative X-Ray में नेलिंग की जगह प्लेटिंग की गयी है।

iii. केस न0 Case/Hosp 5P00700/E1035(Pre-auth approved Rs. 28500/-, Paid) रोगी श्री नलिन डगवाल के ऑपरेशन नोटस में Ext Fixation and Mini Fixator done अंकित किया गया है परन्तु Post Operation X-Ray में नेलिंग की गयी है तथा Ext Fixation एवं Mini Fixator नहीं दिखाई दे रहे है।

iv. केस न0 Case/Hosp 5P00700/E10554(Pre-auth approved Rs. 23500/-, Paid) रोगी श्री प्रवीन प्रसाद के ऑपरेशन नोटस में कहाँ गया है कि मरीज की नेलिंग की गई है। परंतु पोस्ट ऑपरेशन एक्स–रे में नेलिंग की जगह प्लेटिंग दिख रही है। मरीज के किसी भी X-Ray में नाम, दिनांक आदि अंकित नहीं की गयी है।

v. केस न0 Case/Hosp 5P00700/D9113(Pre-auth approved Rs. 23500/-, Paid) रोगी श्री युवराज सिंह के Immediate Pre Operative X-Ray तथा Post Operative X-Ray में Discrepancy प्रतीत हो रही है। Post Operative X-Ray में कोई भी Healed Fresh Fracture नहीं दिखायी दे रहा है यह पुराना X-Ray प्रतीत हो रहा है।

vi. केस न0 Case/Hosp 5P00700/D36255(Pre-auth approved Rs. 23500/-, Unpaid) रोगी श्री राकेश कुमार को दून चिकित्सालय के रेफरल सिल्प में # Radial Head Left Side अंकित किया गया है। विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा मरीज में Fracture Inter Condylar with Supra condylar Extension लिखा गया है। परन्तु मरीज के 3D CT Scan में कोई Fracture Inter Condylar with Supra condylar Extension नहीं दिखायी दे रहा है। मरीज के डिस्चार्ज सिल्प में Radial Head Excision Bicolumnor Plating + Fracture Ulna Internal Fixation with Facsiotony दर्शायी गयी है परन्तु Post Operative X-Ray में Radial Head दिखायी दे रहा है।

vii. केस न0 Case/Hosp 5P00700/S876(Pre-auth approved Rs. 31750/-, Paid) रोगी श्री राम लखन के Pre & Post Operative X-Ray एक ही व्यक्ति के प्रतीत नहीं हो रहे है। Post Operative X-Ray में मरीज का नाम, आयु, दिनांक अथवा मरीज का कोई भी पहचान नम्बर अंकित नहीं किये गये है।

8. विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा 11 केसेस Hip Replacement सर्जरी के भर्ती दर्शायी गयी है। भर्ती किये गये उपरोक्त 11 मरीजों में से 06 मरीजों के अभिलेखों में

01.06.19

रेफरल स्लिप पायी गयी। जबकि 05 मरीजों के अभिलेखों में रेफरल स्लिप नहीं पायी गयी। मरीजों का इलाज हो जाने के पश्चात अथवा भर्ती होने के पश्चात रेफरल की व्यवस्था नहीं है। विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा रेफरल प्राप्त होने के पश्चात ही मरीजों को भर्ती या उनका इलाज किया जा सकता है। विनोद आर्थो क्लीनिक तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध के सेक्शन 2 पैरा 4(iv) f में निम्न प्रावधान है:

"Section 2: Scope of services Para 4(iv) f : Packages as mentioned in **Annex 2** can only be availed in Private EHCPs **only after a referral from a Public EHCP is made."**

अतः विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा 05 मरीजों का इलाज बिना रेफरल के करके अनुबन्ध का उल्लंघन किया गया है। उपरोक्त कृत्य विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा रेफरिंग हॉस्पिटल के मध्य दुरभि संधि एवं धोखाधड़ी का संदेह उत्पन्न करता है।

9. विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा कि Hip Replacement के 05 केसेस इमरजेंसी में दिखाये गये हैं। Hip Replacement प्रायः इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती है। अभिलेखों के परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि ये केसेस इमरजेंसी के नहीं हैं, वरन् रेफरल को avoid करने के लिए इन्हें इमरजेंसी में दिखाया गया है। विनोद आर्थो क्लीनिक तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध में इमरजेंसी में भर्ती के सम्बन्ध में सेक्शन 4 पैरा 4 में निम्न प्राविधान है:

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure

Para 4. Emergency admission: In case of emergency the beneficiary may get the treatment after getting TPIN (Telephonic Patient Identification Number) from the call centre and same will be recorded. ..."

विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा इन केसेस में TPIN नहीं लिया गया है अतः चिकित्सालय का यह कृत्य अनुबंध का उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट होता है कि चिकित्सालय द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत किये गये अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन तथा धोखाधड़ी करके अवैधानिक रूप से क्लेम लेने का प्रयास किया गया है।

10. उक्त 7,8 एवं 9 में वर्णित केसेस में चिकित्सालय के अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरांत यह भी पाया गया कि मरीजों के X-Ray रिपोर्ट में मरीज का नाम, आयु एवं दिनांक प्रदर्शित नही किये गये हैं जैसे Case/Hosp 5P00700/D11667, Case/Hosp

01.06.19

5P00700/D23526, Case/Hosp 5P00700/D2464, Case/Hosp 5P00700/D5576, Case/Hosp 5P00700/E18527। उपरोक्त के क्रम में विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा किये गये क्लेमों के अभिलेखों की जाँच करने पर यह पाया कि विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। Hip Replacement के केसेस को इमरजेंसी में दिखा कर सर्जरी की गयी, मरीजों के X-Ray में नाम, आयु तथा दिनांक अंकित नहीं है, ओ0टी0 नोटस एवं X-Ray में भिन्नता पायी गयी हैं। अतः विनोद आर्थो क्लीनिक का यह कृत्य मरीजों के उपचार में धोखाधड़ी का संदेह उत्पन्न करता है।

विनोद आर्थो क्लीनिक, 6–इन्दर रोड, देहरादून को उक्त वर्णित (1) से (10) अनियमित्ताओं हेतु यह ''कारण बताओ नोटिस'' दिया जाता है कि क्यों न–

i. विनोद आर्थो क्लीनिक की सूचीबद्धता निरस्त करते हुए उसका de-empanelment कर दिया जाये।

ii. बिंदु संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 में वर्णित कुल 23 केसों के क्लेम की धनराशि रू0 565850/– जो चिकित्सालय द्वारा प्राप्त कर ली गई है, वह अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना सोसाइटी को विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा वापिस की जाय और अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण अर्थदण्ड भी लगा दिया जाये।

iii. बिंदु संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 में वर्णित विनोद आर्थो क्लीनिक के लम्बित 38 क्लेमों (धनराशि रू0 1028500/–) को निरस्त कर दिया जाये, और अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण अर्थदण्ड भी लगा दिया जाये।

विनोद आर्थो क्लीनिक, 6–इन्दर रोड, देहरादून द्वारा उक्त ''कारण बताओ नोटिस'' का उत्तर देने के लिए नोटिस प्राप्ति की तिथि से 15 दिन का समय दिया जाता है। विनोद आर्थो क्लीनिक के वर्तमान में लम्बित समस्त देयकों को अंतिम निर्णय होने तक प्रतीक्षा (abeyance) में रखा जाए। यद्यपि उक्त आरोपों के सम्बन्ध में स्वयं विनोद आर्थो क्लीनिक के पास सभी अभिलेख उपलब्ध हैं, तथापि विनोद आर्थो क्लीनिक को यह अवसर भी दिया जाता है कि वह उक्त 15 दिन की अवधि में किसी भी कार्य दिवस पर आकर अभिलेखों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। यदि निर्धारित अवधि में चिकित्सालय द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि चिकित्सालय द्वारा उक्त आरोपों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और चिकित्सालय के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।

उक्त लगाए गए आरोपों के क्रम में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के साथ विनोद आर्थो क्लीनिक द्वारा किये गए

01.06.19

अनुबंध में दंड के प्राविधान Annexure 6: Process for Disciplinary Proceedings And De-Empanelment में उल्लेख की गई व्यवस्था के अनुसार अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में सूचीबद्ध विनोद आर्थो क्लीनिक की सूचीबद्धता (empanelment) तत्काल प्रभाव से (जब तक अंतिम निर्णय न हो जाए) निलंबित की जाती है ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं/गलत भुगतान की संभावना से बचा जा सके। इस विषय पर अंतिम निर्णय होने तक विनोद आर्थो क्लीनिक की login को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण के सिस्टम पर तत्काल ब्लॉक कराने की कार्रवाही भी की जाये तथा विनोद आर्थो क्लीनिक के वर्तमान में लम्बित समस्त देयकों को अंतिम निर्णय होने तक प्रतीक्षा (abeyance) में रखा जाए। इस कारण बताओ नोटिस को डा0 प्रसून महेश्वरी, संचालक, विनोद आर्थो क्लीनिक, 6–इन्दर रोड, देहरादून को ई–मेल से तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाये।

01.06.19

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक– प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुश्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को विशेष रुप से इस आदेश के बिंदु संख्या 01 के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. जिला अधिकारी, जनपद देहरादून।
3. निदेशक, प्रशासन, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA)।
4. निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA)।

5. निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA)।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद देहरादून।
7. राज्य समन्वयक, कियान्वयन सहायता एजेंसी।
8. डा0 प्रसून महेश्वरी, संचालक, विनोद आर्थो क्लीनिक, 6–इन्दर रोड, देहरादून।

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक– प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना